

एसईसी-1/187(2)/2026/2754

दिनांक: 16 मार्च, 2026

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: 16 मार्च, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") के निदेशक मंडल ने 16 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **32% (अर्थात 10/- रुपये)** के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3.20 रुपये) के **4 अंतरिम** लाभांश पर विचारोपरांत उसकी घोषणा की।

इसके अतिरिक्त, उक्त अंतरिम लाभांश के लिए **रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 20 मार्च, 2026** निर्धारित की गई है और उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान **14 अप्रैल, 2026** को या उससे पहले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम (i) डिपॉजिटरी द्वारा 20 मार्च, 2026 को कारोबार बंद होने तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में प्रस्तुत विवरणों में लाभकारी धारक के रूप में दर्ज हैं; और (ii) भौतिक शेयरों के संबंध में 20 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। इसी संदर्भ में और दिनांक 24 जुलाई, 2025, 17 अक्टूबर, 2025 और 29 जनवरी, 2026 के हमारे पूर्व पत्रों के क्रम में, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसके कर की कटौती कम दरों पर की जाए या कोई कर कटौती न की जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पैन कार्ड, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति 20 मार्च, 2026 को या उससे पहले जमा करनी होगी, जब तक कि पहले से जमा न की गई हो, ईमेल के माध्यम से virenders@Ulankit.com पर भेजें और इसकी एक प्रति recigr@Ulankit.com को भी भेजें। इसके अलावा, शेयरधारक टीडीएस छूट या कम कटौती के लिए आवश्यक दस्तावेज वेबलिनक: [amps://einward.alankit.com/i](https://einward.alankit.com/i) का उपयोग करके जमा कर सकते हैं। 20 मार्च, 2026 के बाद कर निर्धारण/कम दरों पर कर कटौती के संबंध में कोई भी संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लिस्टिंग विनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। चेक या वारंट जैसे भौतिक साधनों के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को दृढ़ता से कर दें ताकि लाभांश का निर्बाध क्रेडिट इस प्रकार हो सके:

पेज 1/2

- क्षेत्रीय कार्यालय** : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
- राज्य कार्यालय** : वडोदरा, वाराणसी
- प्रशिक्षण केंद्र** : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

- **डिमैट रूप में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया अपने डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमैट खाते में अपने बैंक विवरण पंजीकृत या अपडेट करें।
- **भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया कंपनी के आरटीए - रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने फोलियो में अपना केवाईसी और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत या अपडेट करें।

बोर्ड की बैठक दोपहर 2:00 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:40 बजे समाप्त हुई

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी